भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2265

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 अगस्त, 2024/14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया)

सीएसआर परियोजनाओं में शामिल एनजीओ

2265. श्री नव चरण माझी:

श्री लुम्बा रामः

श्री तेजस्वी सूर्याः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री मनोज तिवारीः

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

श्री दिलीप शइकीयाः

श्री मुरारी लाल मीनाः

श्रीमती अपराजिता सारंगीः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री धर्मबीर सिंहः

श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में विशेषकर महाराष्ट्र में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के माध्यम से पर्यावरण, कौशल विकास, जल और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों सहित गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ओडिशा सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि संस्वीकृत/आबंटित/उपयोग की गई है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं और उनके द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग करके कौन-कौन से कार्य किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। सीएसआर कानूनी ढांचे में, 'गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)' को परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 135 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी बोर्ड को अपने सीएसआर कार्यकलाप स्वयं द्वारा या निम्नलिखित के माध्यम से करने का अधिकार है -

i. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के तहत छूट दी गई है या धारा 12क के तहत पंजीकृत और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के 80छ के तहत अनुमोदित है जो-

- कंपनी द्वारा या तो अकेले या किसी अन्य कंपनी के साथ स्थापित है; या
- इसी तरह के कार्यकलापों को शुरू करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड रखता हो

ii. अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी; या

iii. संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित कोई इकाई।

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 को 22 जनवरी, 2021 को संशोधित किया गया था और 1 अप्रैल, 2021 से केंद्रीय सरकार के साथ उपरोक्त कार्यान्वयन एजेंसियों का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। आज की तारीख तक कुल 76245 कार्यान्वयन एजेंसियों ने एमसीए21 रजिस्ट्री में पंजीकरण कराया है। कार्यान्वयन एजेंसियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) : सीएसआर प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े, कंपनी-वार, राज्य-वार, जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार आँकड़े सहित www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय सीएसआर व्यय के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकडे नहीं रखता है। एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वर्षों के दौरान दौसा जिले में किए गए सीएसआर व्यय और सभी कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।

******

अनुलग्नक-I

<u>05.08.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2265 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक</u>

वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्यवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ में)						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीएसआर व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19	सीएसआर व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20	सीएसआर व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21	सीएसआर व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22	सीएसआर व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23
1	अंडमान और निकोबार	0.82	1.29	2.86	9.71	2.53
2	आंध्र प्रदेश	665.97	710.23	719.81	656.79	954.65
3	अरुणाचल प्रदेश	24.56	18.02	10.58	119.42	13.35
4	असम	210.00	285.00	180.23	406.17	470.25
5	बिहार	137.95	110.48	89.89	165.97	235.37
6	चंडीगढ़	11.46	15.58	13.40	50.88	18.63
7	छत्तीसगढ़	149.35	269.68	325.63	305.29	596.11
8	दादरा और नगर हवेली	13.48	18.34	21.98	14.11	13.71
9	दमन और दीव	6.25	9.53	5.25	4.13	9.40
10	दिल्ली	750.85	830.00	724.59	1,196.34	1,483.91
11	गोवा	46.77	43.91	41.92	45.43	58.16
12	गुजरात	1,082.18	984.37	1,461.60	1,604.26	2,008.42
13	हरियाणा	378.11	537.91	550.86	683.95	701.07
14	हिमाचल प्रदेश	78.79	78.78	106.31	140.22	138.63
15	जम्मू और कश्मीर	36.44	25.27	35.56	50.68	71.22
16	झारखंड	109.80	155.21	226.54	193.33	388.35
17	कर्नाटक	1,257.69	1,448.16	1,277.81	1,839.73	1,985.82
18	केरल	354.78	298.56	290.67	239.73	351.60
19	लक्षद्वीप	0.39	-	0.01	0.45	0.02
20	लेह और लद्दाख	-	-	-	14.84	11.72
21	मध्य प्रदेश	243.55	220.46	375.51	427.68	656.42
22	महाराष्ट्र	3,147.72	3,353.24	3,464.81	5,380.41	5,497.32
23	मणिपुर	7.81	14.21	10.39	15.62	53.45
24	मेघालय	16.54	17.65	17.63	19.63	21.73
25	मिजोरम	0.11	0.25	0.97	6.94	10.99
26	नागालैंड	2.12	5.10	3.57	12.46	13.57
27	ओडिशा	697.91	717.39	578.16	670.32	987.70
28	पैन इंडिया*	6,443.53	9,385.66	7,805.03	5,525.16	6,060.98
29	पुडुचेरी	9.15	11.32	12.43	9.31	12.55
30	पंजाब	166.85	189.44	158.46	184.89	247.57
31	राजस्थान	595.49	734.12	670.00	711.82	1,102.37
32	सिक्किम	5.87	10.99	17.28	28.24	36.18
33	तमिलनाडु	877.08	1,072.26	1,174.07	1,432.06	1,562.48
34	तेलंगाना	428.06	445.80	627.71	685.87	1,007.54
35	त्रिपुरा	23.06	9.40	9.29	15.91	19.26
36	उत्तर प्रदेश	521.32	577.98	907.32	1,339.18	1,152.57
37	उत्तराखंड	172.31	124.70	160.58	228.08	301.11
38	पश्चिम बंगाल	382.23	423.85	471.48	567.21	762.29
39	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया *	4.44	20.97	169.47	0.52	20.12
40	पैन इंडिया (अन्य केंद्रीकृत निधि)	1,156.86	1,790.69	3,491.30	1,613.57	948.81
	कुल	20,217.65	24,965.82	26,210.95	26,616.30	29,987.92

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

*** अन्यत्र कवर नहीं (एनईसी)**

***कंपनियों ने या तो राज्यों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्यों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

******

अनुलग्नक- II

05.08.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2265 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दौसा जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक सीएसआर खर्च (राशि करोड़ में)		
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ में)
1	2018-19	0.49
2	2019-20	2.27
3	2020-21	3.60
4	2021-22	3.91
5	2022-23	2.60
	कुल	12.87

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

******